दिनांक 27.07.2017 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

1– सर्वप्रथम लोक कल्याण संकल्प पत्र के इस बिन्दु के सम्बन्ध में कि सभी अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किया जायेगा और सभी यान्त्रिक कत्लखानों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा; प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा यह अवगत कराया गया कि समस्त अवैध बूचडखाने बन्द किये जाने का आदेश/शासनादेश दिनांक 22–03–2017 द्वारा जारी किया गया है। उक्त के अनुपालन में 92 बूचडखाने बन्द किये जा चुके हैं, जिन पर नियमित समक्षा एवं अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

2– सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई–टेन्डरिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा यह अवगत कराया गया कि 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में ई–टेंण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में यह निर्देश दिया गया कि इसका आकलन कर लिया जाये कि प्रथम चरण में इस प्रकिया को एक लाख से अधिक जनसंख्या की समस्त नगर निकायों में लागू किया जाय अथवा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निकायों में लागू किया जाय। द्वितीय चरण में इसे एक लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम जनसंख्या वाली निकायों पर लागू करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

3– नगर विकास विभाग में रिक्त सभी सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रकिया प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि गतवर्ष 2016 में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से नगर विकास विभाग में भरे जाने वाले पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान न किये जाने के कारण वर्तमान में पुनः लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों को मंत्रि–परिषद के निर्णय द्वारा लोक सेवा आयोग से बाहर भरे जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इन रिक्तियों का अधियाचन तत्काल लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया जाये, तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पदों पर भी भर्ती प्रकिया के संबंध में भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाये। इस संबंध में विभाग स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को अविलम्ब पूर्ण कर लिया जाय।

4– राज्य में बुनियादी ढांचे में मौलिक परिवर्तन कर कस्बों और शहरों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के

संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का बिन्दु नगरीय निकायों की आय से सीधे जुड़ा है, अतः यह आवश्यक है कि नगरीय क्षेत्रों की समस्त सम्पत्तियां सम्पत्ति के दायरे में आच्छादित हों, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार/बढोत्तरी हो सके जिससे फलस्वरूप अच्छी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

5— पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा यह अवगत कराया गया कि 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अमृत योजना के अर्न्तगत 2020 तक शत प्रतिशत घरों में पाइप से जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि नान रेवेन्यू वाटर कम से कम हो। इस की व्यवस्था कर ली जाय। इस संबंध में सभी नगर निकायों को निर्देश दिये जाए और एक विस्तृत समयबद्ध कार्ययोजना भी तैयार कराई जाए।

6— अगले 05 वर्षो में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय बनाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सभी घरों में शौचालय बनाने और मा0 गुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप 02 अक्टूबर 2018 तक सभी नगरीय निकायों को खुले में शौचमुक्त किये जाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें।

7-- प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 2015—16, 2016—17, 2017 से 2020 के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो की प्रगति से अवगत कराया गया। यह भी अवगत कराया गया कि सैप वर्ष 2015—16 में कुल 211 परियोजना स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 188 परियोजनाओं की केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किश्त के रूप में 20 प्रतिशत लागत की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। उक्त परियोजनाओ की निविदाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 67 परियोजनाओं की निविदाऐं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जल निगम के अधिकारियों से यह जानकारी चाही गयी कि अमृत मिशन की इन योजनाओं एवं प्रोजेक्ट्स में कुल कितने पैकेज हैं और कितने स्वीकृत हो चुके हैं और मौके पर कितने पैकेजेज् पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? इस संबंध में जल निगम के अधिकारियों द्वारा तथ्यात्मक रूप से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी जिसपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और कहा गया कि इन योजनाओं का कार्य देख रहे उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर निर्धारित रूप

से गहन समीक्षा किया जाना अवश्यक है, किन्तु अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की समीक्षा नहीं की जा रही है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जल निगम के अधिकारियों को भविष्य में पूर्ण सूचना के साथ बैठक में आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

तदनुसार बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः–3226 / नौ–5–2017–240सा / 2017
लखनऊः दिनांकः 4 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
(5) निदेशक, सी0एण्डडी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(6) श्री आर0एन0पाल, स्टेट मिशन मैनेजर, राज्य शहरी आजीविका मिशन(सूडा)।
(7) श्री आर0एन0 गोयल, महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(8) श्री ए0के0पुरवार, महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(10) नगर विकास अनुभाग–2 / 8।

आज्ञा से,
04/9/17
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।